

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य /2019/12-07/2019 दिनांक 06.03.2019 द्वारा श्रीमती अमृता दाधीच, वरिष्ठ व्याख्याता, समकक्ष प्रधानाचार्य-राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बकानी, खानपुर जिला झालावाड किया गया था जिसके विरुद्ध श्रीमती दाधीच द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 7414/2019 अमृता दाधीच बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 7414/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.04.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.03.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा श्रीमती अमृता दाधीच, वरिष्ठ व्याख्याता के सम्बन्ध में स्थगित किये जाने के फलस्वरूप श्रीमती अमृता दाधीच को माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर में वरिष्ठ व्याख्याता, समकक्ष प्रधानाचार्य-राउमावि के पद पर कार्यग्रहण किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अमृता दाधीच/एसबीसिया/7414/2019 दिनांक: 10.05.2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर/कोटा संभाग, उदयपुर/कोटा।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर/झालावाड।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) झालावाड/उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)